रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 2] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 1, 1970/पौष 11, 1891

No. 2] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 1, 1970/PAUSA 11, 1891

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

Customs

New Delhi, the 1st January 1970

G.S.R. 32.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 98-Customs, dated the 1st July, 1968, the Central Government being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts each of the articles specified in column (2) and falling under Item or Items of the First Schedule to the Indian Tariff Act, 1934 (32 of 1934), specified in column (3) of the said Table when imported into India, from so much of that portion of the duty of customs leviable thereon which is specified in the said Schedule as is in excess of—

(a) the rate specified in the corresponding entry in column (4) of the said Table where the standard rate of duty is leviable, and

(b) the rate specified in the corresponding entry in column (5) of the said Table, where the preferential rate of duty is leviable.

TABLE

Sl. No.	Name of article	Item No. in the First Schedule to the Indian Tariff act, 1934	Standard rate of duty	Preferential rate of duty
1	2	3	4	5
1	Drugs and medicines containing spirit.	22(5)(b)(i) and 22(5)(b)(ii)	Rs. 13·86 per litre or 54 per cent ad valorem which ever is higher plus Rs. 5·00 per litre.	
2	Tobacco, unmanufactured .	24(3)	Rs. 35/- per Kilogram	Rs. 35/- per Kilogram.
3	Drugs and medicines other than Chloroquine.	28 or 28(8).	50 per cent ad valorem.	40 per cent ad valorem.
4	Alumina for the manufacture of aluminium.	28	15 per cent ad valorem.	11 per cent ad valorem.
5	Chloroquine . . .	28	50 per cent ad valorem	46 per cent ad valorem
6	(a) Vitamin A . . .	28(28)(b)	30 per cent ad valorem.	28 per cent ad valorem.
	(b) Vitamins B-12, C, D-2, D-3 and K, and preparations thereof	28(28)(b)	50 per cent ad valorem.	48 per cent ad valorem.
	(c) Vitamins and vitamin preparations other than those specified under (a) and (b) above, excluding fish liver oil free from other therapeutic ingredients.	28(28)(b)	20 per cent advalorem.	18 per cent ad valorem.
7	Wireless transmission apparatus.	73(13)	30 per cent ad valorem	26 per cent ad valorem.

[No. 2/F. No. 11/9/69-Cus. I.]
J. DATTA, Dy. Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

सीमा शुल्क

नई दिल्ली, 1 जनवरी 1970

सा० का० नि० सं० 32.—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 98–सीमा शुल्क, तारीख 1 जुलाई, 1968 को

अधिक्रांत करते हुए, केन्द्रीय सरकार अपना यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट भारतीय टारिफ अधिनियम, 1934 (1934 का 32) के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट और प्रथम अनुसूची की मद या मदों के अन्तर्गत आने वाली हरेक वस्तुओं को जब उनका भारत में आयात किया जाता हो, उन पर उद्ग्रहणीय सीमा शुल्क के उतने भाग से जो उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं और जो निम्नलिखित से अधिक है, एतद् द्वारा छूट देती है–

(क) उक्त सारणी के स्तंभ (4) में, तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दर, जहां शुल्क का मानक दर उद्ग्रहणीय है और

(ख) उक्त सारणी के स्तंभ (5) में, तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दर, जहां शुल्क का अधिमानी दर उदग्रहणीय है ।

क्र०सं०	वस्तु का नाम	भारतीय टारिफ अधिनियम 1934 की प्रथम अनुसूची में मद सं०	शुल्क का मानक दर	शुल्क का अधिमानी दर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	औषधी और औषध जिनमें स्प्रिट है	22(5)(ख)(1) और 22(5)(ख)(ii)	रु० 13.86 प्रति लिटर या 54 प्रतिशत मूल्यानुसार जो भी अधिक हो और साथ ही रुपया 5.00 प्रति लिटर ।	
2.	तम्बाकू, अविनिर्मित	24(3)	रु० 35।- प्रति किलोग्राम	रु० 35।- प्रति किलोग्राम
3.	क्लोरोकुइन से भिन्न औषधि और औषध	28 या 28(8)	50 प्रतिशत मूल्यानुसार	40 प्रतिशत मूल्यानुसार
4.	अल्युमिनियम के विनिर्माण के के लिए अल्युमिना	28	15 प्रतिशत मूल्यानुसार	11 प्रतिशत मूल्यानुसार

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.	क्लशोरोकुइन . .	28	50 प्रतिशत मूल्यानुसार	46 प्रतिशत मूल्यानुसार
6.	(क) विटामिन ए . .	28 (28) (ख)	30 प्रतिशत मूल्यानुसार	28 प्रतिशत मूल्यानुसार
	(ख) विटामिन बी-12, सी, डी-2 डी-3 और के, और उन की निमितियां	28(28)(ख)	50 प्रतिशत मूल्यानुसार	48 प्रतिशत मूल्यानुसार
	(ग) उपर्युक्त (क) और (ख) के अन्तर्गत विनिदिष्ट निमितियों से भिन्न विटामिन और विटामिन की निमितियां जिनमें अन्य चिकित्सीय संघटकों से मुक्त मछली के लीवर का तेल अपवर्जित है ।	28(28)(ख)	20 प्रतिशत मूल्यानुसार	18 प्रतिशत मूल्यानुसार
7.	बेतार-प्रेषण उपकरण .	73(13)	30 प्रतिशत मूल्यानुसार	26 प्रतिशत मूल्यानुसार

[सं० 2/फा० सं० 11/9/69—सीमा शुल्क 1]

ज्योतिर्मय दत्त, उपसचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970